संख्या– /XXVIII(1)/2017 -11(सामान्य) /2017

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
107 चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2017।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 20–सहायक अनुदान/राज सहायता के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–842/XXVIII(1)/2017-11(सामान्य)/2017 दिनांक 24 अगस्त, 2017 द्वारा लेखाशीर्षक–2210–05–105–04–0405 मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता हेतु ₹ 60.00 लाख व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल के पत्र संख्या–मे0का0श्री0/लेखा/2017–18/1580 दिनांक 23 अगस्त, 2017 के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक–2210–05–105–04–0405 मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित धनराशि ₹ 3.00 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 2.40 करोड़ (₹ दो करोड़ चालीस लाख मात्र) को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा। अतः स्वीकृत बजट से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
ii. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की नियमानुसार कार्यवाही की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
iii. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा जोखा रखा जायेगा। विभागाध्यक्ष/बजट नियत्रंण अधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इस का महालेखाकार से

मिलान करते हुए मिलान की प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–3 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

iv. किसी भी शासकीय व्यय हेतु धनराशि के भुगतान से पूर्व प्राचार्य/वित्त नियंत्रक प्रस्ताव में वर्णित बिलों का सत्यापन स्वयं करेंगें तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

v. पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.09.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कालेज–0405–राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान (टींचिग हॉस्पिटल) हेतु मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–76(म0)/XXVII(3)/2017-18, दिनांक 19.09.2017 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या–1076 /XXVIII(1)/2017-11(सा0)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, पौडी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली, आयुर्विज्ञान एंव शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल।
6. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 एंव 01 उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।